न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– श्री मांगीलाल रेगर , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–158/2017 दिनांक 31–01–2019

उनवान

1. सत्यनारायण पिता भंवरलाल लौहार वयस्क निवासी भदेसर तहसील भदेसर

.....वादी

।। बनाम ।।

1. उंकारी बाई पत्नि स्व. नाथूलाल लौहार वयस्क निवासी भदेसर हाल मुकाम ढोरिया तहसील निम्बाहेडा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ,भदेसर जिला चित्तौडगढ़

ढोरिया

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, ,188, रा0 का0 अधि0 1955

उपस्थित–श्री नरेन्द्र सिहं पंवार वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, ,188 की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया –

1. यह कि ग्राम गाडरियों की ढाणी पटवार हल्का व तहसील भदेसर में स्थित खाता संख्या 49 पर दर्ज आराजी नम्बर 412/167 रकबा 0.05 हैक्टैयर , आराजी नम्बर 418/156 रकबा 0.08 हैक्टैयर , आराजी नम्बर 419/149 रकबा 0.01 हैक्टैयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.14 हैक्टैयर कृषि भूमि को वादी के पिता ने खातेदार विक्रेता (प्रतिवादी संख्या 01 के पति) नाथूलाल से जरिये विक्रय नामा दिनांक 31.10.1992 को 20000 अक्षरे बीस हजार रूपये में प्रतिवादी संख्या 1 के पति स्व. नाथूलाल को गवाहों की मौजूदगी में नकद अदा कर क्रय की एवं कब्जा प्राप्त किया तभी से वादी अपने पिता के जीवनकाल से उक्त खरीद की गई आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है ।
2. यह कि वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति नाथूलाल के मध्य आपस में अच्छे संबंध होने कारण वादी के पिता उक्त आराजीयात की रजिस्ट्री वाद में करवाने के भरोसे में रहे मगर इस दरम्यिान विक्रेता नाथूलाल की मृत्यु हो गई जिससे वादी के पिता द्वारा खरीद की गई उक्त आराजीयात की रजिस्ट्री नहीं करा सके जिससे उक्त आराजीयात अभी भी विक्रेता नाथूलाल के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है जिससे अब प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बदनियति आ जाने से वह वादी को

31.1.19

Scanned by CamScanner

मौके पर आये दिन आकर जमीन से कब्जा छोडने व अपने नाम पर नामान्तरकरण खुलाने की धमकियां दे रही है जिससे उक्त आराजीयात को वादी की खातेदारी घोषित करा राजस्व रेकार्ड से नाथूलाल का नाम विलोपित कराया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराये जाने हेतु यह वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा का पेश है ।

3. यह कि विवादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के पति नाथूलाल का नाम दर्ज होने क कारण प्रतिवादी सख्या 1 उक्त आराजीयात को जनबी व्यक्ति को मौके पर लाकर जमीन बता कर जमीन को विक्रय करने की सौदेबाजी करने लगी है तथा आराजीयात अपने नाम पर करवाने हेतु आमादा हो रही है तथा वादी को जमीन का कब्जा छोडकर चले जाने की धमकियां दे रहीं है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञज्ञ से पावन किया जावे कि वादी के पिता द्वारा खरीद की गई उक्त आराजीयात में वादी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वंय करें ना किसी अन्य से करावें एवं आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का पर्विन न तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें ।

4. यह कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से प्रतिवादी दौराने वाद वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय रहन , बक्षीस कर देवें तो शून्य व बेअरार घोषित किया जावे इस हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है ।

5. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 12.09.2017 को मौके पर आकर जमीन विक्रय करने की धमकी देने से व बाद में दिांक 14.9.17 को पटवार हल्का से उक्त आराजीयात की नकल प्राप्त करने पर वाद कारण उत्पन्न होकर लगातार जारी है ।

अतःवाद स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किया जावे तथा विवादित आराजीयात वादीगण के खातेदारी की घोषित फरमाई जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्न तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने जाने के आदेश पारीत किये गये ।

प्रकरण में वादोत्तर प्रस्तुत नहीं होने से वाद बिन्दु कायम नहीं किये गये । वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गये :–

1. जमाबन्दी मौजा गाडरियों की ढाणी की खाता संख्या 49 संवत् 2073–2076 प्रदर्श–1
2. अपंजिकृत विक्रय पत्र 50/– संलग्न 1/'– रू0 के मुद्रांक पर नाथूलाल लोहार द्वारा भंवरलाल लोहार के पक्ष में निष्पादित दिनांक 31.10.92 विक्रय मूल्य 20000/– प्रदर्श–2
3. शपथ पत्र आदेश 18 नियम 04 भगवतीलाल पिता रामा गाडरी निवासी गाडरियों की ढाणी

31.1.19

Scanned by CamScanner

4. शपथ पत्र आदेश 18 नियम 04 हीरालाल पिता भेरूलाल गाडरी निवासी धीरजीकाखेडा
5. शपथ पत्र आदेश 18 नियम 04 सत्यनारायण पिता भंवरलाल लौहार निवासी भदेसर
6. शपथ पत्र आदेश 18 नियम 04 मांगीलाल प्रताप रेबारी निवासी कन्नौजिया

विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई ।

पत्रावली उप उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया ।

मौका व राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति ज्ञात किये जाने हेतु तहसीलदार भदेसर को कमीशन नियुक्त किया गया जिन्होने पटवारी हल्का भदेसर के पंर्चा मौका अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि राजस्व रेकार्ड अनुसार आराजी नम्बर 418/156 रकबा 0.08 हैक्टैयर , आराजी नम्बर 419/149 रकबा 0.01 हैक्टैयर किता–2 कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर पर वर्तमान में गेहूं की फसल वादी सत्यनारायण पिता भंवरलाल लौहार द्वारा बोई गई है तथा , आराजी नम्बर 412/167 रकबा 0.05 हैक्टैयर में भूमि में एक बाडा नुमा खण्डे/पत्थर व चद्दर की छाया बना रखी है जिसका उपयोग श्री नन्दलाल पि0 खुमा लौहार द्वारा किया जा रहा है । कमीशनरी रिपोर्ट से विवादित आराजीयात पर कब्जा वादी का होना प्रतित होता है । तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से वाद के तथ्यों की पुष्ठि भी होती है कि आलौच्य आराजीयात का मूल खातेदार नाथूलाल द्वारा वादी के पिता भंवरलाल को विकय किया गया है । जिस पर नाथूलाल व उसकी पत्नी उंकारी का अगूंठा निशानी लगा हुआ है । जिसकी पुष्ठि अपंजिकृत दस्तावेज प्रदर्श–2 से होती है विकय पत्र पर साक्षी के रूप में बद्रीलाल के हस्ताक्षर है उसको सही होने की पुष्ठि गवाह मांगीलाल के बयान से होती है तथा मांगीलाल बद्रीलाल का भाई है चूंकि विकेता द्वारा इस दस्तावेज में आराजी नम्बर का हवाला नहीं दिया गया है केवल आराजी के पडोस अंकित किये गये है इन पडोस के मध्य की आराजी का विवादित आराजीयात होने की पुष्ठि कमीशनर रिपोर्ट तहसीलदार भदेसर के साथ पटवारी भदेसर द्वारा बनाये गये पर्चे मौके से होती है इसके अतिरिक्त मृतक नाथूलाल के पास अन्य और कोई कृषि आराजीयात भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है । मूल खातेदार विकेता एवं केता दोनों की मृत्यु हो जाना वादीगण ने साबित कराया है तथा स्वतन्त्र गवाहों के बयान से भी स्पष्ट होता है कि वाद वर्णित आराजीयात पर केता भंवरलाल के वारिसान का कब्जा होकर काश्त की जा रही है । प्रदर्श–1 अनुसार उक्त आराजीयात विकेता मृतक नाथूलाल के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है यदि उसका विरासत का नामान्तरण खोला जाता है तो राजस्व रेकार्ड में और विविधता में वृद्वि हो जायेगी जिससे वादी को अपूरणीय क्षति कारीत होना स्वभाविक होगा । वादी द्वारा वाद वर्णित अभिवचनों को साबित कराया किन्तु अपंजिकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी प्राप्त करना करापवंचन की धारणा परिलक्षित करता है ।

31-1-19

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि ग्राम गाडरियों की ढाणी पटवार हल्का व तहसील भदेसर की खाता संख्या 49 पर दर्ज आराजी नम्बर 412/167 रकबा 0.05 हैक्टैयर , आराजी नम्बर 418/156 रकबा 0.08 हैक्टैयर , आराजी नम्बर 419/149 रकबा 0.01 हैक्टैयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.14 हैक्टैयर भूमि जो कि खातेदार नाथूलाल पिता प्रताप लौहार के खातेदारी में दर्ज है श्री नाथूलाल द्वारा जरिये अपंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 31.10.1992 तादादी रूप्ये 20000 अक्षरे बीस हजार रूपये में वादी के पिता श्री भंवरलाल को विक्रय की गई है । आलौच्य दस्तावेज पर राजस्थान स्टाम्प एक्ट के प्रावधानों के तहत वर्तमान प्रचलित दर से कन्वेन्स पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क जमा कराये जाने के उपरान्त उक्त आराजीयात वादी के खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हे । प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात को दिगर तरीके से रहन अथवा हस्तान्तरण नहीं करें न करावें । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

31-1-19

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
बईजलास– श्री मांगीलाल रेगर, आर0ए0एस0,

सत्यनारायण पिता भंवरलाल लौहार वयस्क निवासी भदेसर तहसील भदेसर

.....वादी

।। बनाम ।।

1. उंकारी बाई पत्नि स्व. नाथूलाल लौहार वयस्क निवासी भदेसर हाल मुकाम ढोरिया तहसील निम्बाहेडा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ,भदेसर जिला चित्तौडगढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, ,188, रा0 का0 अधि0 1955
प्रकरण संख्या 158/2017

वादीगण की और से वकील श्री नरेन्द्र सिहं पंवार एवं प्रतिवादी की ओर से – की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 31–01–2019 .को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि ग्राम गाडरियों की ढाणी पटवार हल्का व तहसील भदेसर की खाता संख्या 49 पर दर्ज आराजी नम्बर 412/167 रकबा 0.05 हैक्टैयर , आराजी नम्बर 418/156 रकबा 0.08 हैक्टैयर , आराजी नम्बर 419/149 रकबा 0.01 हैक्टैयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.14 हैक्टैयर भूमि जो कि खातेदार नाथूलाल पिता प्रताप लौहार के खातेदारी में दर्ज है श्री नाथूलाल द्वारा जरिये अपंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 31.10.1992 मादादी रूप्ये 20000 अक्षरे बीस हजार रूपये में वादी के पिता श्री भंवरलाल को विक्रय की गई है । आलौच्य दस्तावेज पर राजस्थान स्टाम्प एक्ट के प्रावधानों के तहत कन्वेन्स पर वर्तमान प्रचलित दर से मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क जमा कराये जाने के उपरान्त उक्त आराजीयात वादी के खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात को दिगर तरीके से रहन अथवा हस्तान्तरण नहीं करें न करावें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 31–01–2019 को डिग्री पर्चा गुर्तिब किया गया ।

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned by CamScanner